भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3508

दिनांक 23 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

एडीईईटीआइई योजना की स्थिति

3508. श्री मस्तान राव यादव बीडाः
डा. कविता पाटीदारः
श्री शंभू शरण पटेलः
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः
श्री उज्जवल देवराव निकमः
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः
श्री नारायण कोरागप्पाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जुलाई 2025 में शुरू की गई उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करने हेतु सहायता (एडीईईटीआइई) योजना के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान किए गए विशिष्ट वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे कि ब्याज सब्सिडी दरें, क्या-क्या हैं;

(ख) ऊर्जा दक्षता में सहायता के लिए वर्तमान में एडीईईटीआइई योजना के अंतर्गत शामिल किए गए औद्योगिक क्षेत्रों और समूहों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या बिहार सहित सभी 36 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने सरल प्रारूप के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में बिजली बिल जारी करने की व्यवस्था में सफलतापूर्वक परिवर्तन कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 2023 में शुरू की गई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के अंतर्गत वर्तमान में अधिसूचित कार्यप्रणाली और उद्योग क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : उद्योगों और संस्थाओं में ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने में सहायता (अदिति) स्कीम के अंतर्गत्, तीन वर्षों की अवधि (2025-26 से 2027-28 तक) के लिए उपयुक्त ऊर्जा-दक्ष प्रौद्योगिकियों और उपायों को अपनाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 5% और मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज में छूट है। इस स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई को

निवेश-स्तरीय ऊर्जा लेखापरीक्षा आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), निगरानी और सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने में मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है।

यह स्कीम 14 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में 60 चिन्हित औद्योगिक क्लस्टरों में स्थित एमएसएमई को कवर करती है, जिनमें निम्नलिखित पीतल, ईंट, सिरेमिक, रासायनिक, मात्स्यिकी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, फोर्जिंग, फाउंड्री, कांच एवं रिफ्रैक्टरी, चमड़ा, कागज, फार्मा, स्टील रि-रोलिंग और वस्त्र क्षेत्र शामिल हैं।

(ग) और (घ) : बिलिंग टेम्प्लेट्स सहित प्रचालनात्मक मानक, उन राज्य स्तर के आपूर्ति कोड द्वारा नियंत्रित होते हैं जिन्हें संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा वितरण यूटिलिटी के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा, यह निर्धारित करने का अधिकार कि किसी उपभोक्ता को बिल कैसे प्रस्तुत किया जाए, एसईआरसी के क्षेत्राधिकार में आता है ताकि इसे स्थानीय प्रशासनिक और भाषा नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में बिजली बिल का विकल्प उपलब्ध है।

(ङ) : कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) दो तंत्रों को परिभाषित करती है - अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र। वर्तमान में अनुपालन तंत्र के तहत सात औद्योगिक क्षेत्रों, अर्थात् एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कली, लुगदी और कागज, पेट्रो-रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और वस्त्र में 490 बाध्यकारी यूनिट को शामिल किया गया है।

ऑफसेट तंत्र के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा निम्नलिखित कार्यप्रणालियाँ प्रकाशित की गई हैं, जिनमें गैर-बाध्यकारी यूनिट अपनी परियोजनाओं को स्वेच्छा से पंजीकृत कर सकती है:

i. बीएम ईएन 01.001: नवीकरणीय स्रोतों से ग्रिड-कनेक्टेड विद्युत उत्पादन;
ii. बीएम ईएन 01.002: जल विद्युत अपघटन (इल्केट्रोलाइसिस) द्वारा हाइड्रोजन उत्पादन;
iii. बीएम आईएन 02.001: औद्योगिक सुविधाओं के लिए ऊर्जा दक्षता और ईंधन परिवर्तन; उपाय;
iv. बीएम आईएन 02.002: बायोगैस से प्राप्त मीथेन का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन;
v. बीएम डब्लयूए 03.001: लैंडफिल मीथेन पुनर्प्राप्ति;
vi. बीएम डब्लयूए 03.002: लैंडफिल गैस का फ्लेयरींग या उपयोग;
vii. बीएम एजी 04.002: घरेलू और छोटे फार्मों में पशुधन और गोबर प्रबंधन से मीथेन पुनर्प्राप्ति;
viii. बीएम एफआर 05.001: अपदूषित सदाबहार पर्यावास का वनरोपण और पुनर्वनीकरण;
ix. बीएम एफआर 05.002: आर्द्रभूमि को छोड़कर अन्य भूमि का वनरोपण और पुनर्वनीकरण।
